(180) (287)

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष, राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प– रीवा, (म.प्र.)

विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित

III/निगरानी/सिंगरौली/भू-रा०/2017/2737 Rs.30/-

जगमानी देवी पत्नी श्री बबन प्रसाद बैस, निवासी ग्राम चितावल कला तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली (म0प्र0) ————————— निगरानीकर्ता

बनाम

1. कमला प्रसाद बैस तनय स्व. रामलखन बैस
2. अखण्ड प्रसाद बैस स्व. रामलखन बैस दोनों निवासी ग्राम चितावल कला हाल मुकाम बरगवां, तहसील चितरंगी जिला – सिंगरौली (म0प्र0)

————————— गैरनिगरानीकर्ता

अधिवक्ता श्री विवेक ... द्वारा पेश। 21.8.17

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 31.07.17 जो रा. प्र. क्र.18 / अपील / 16–17 को माननीय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित किया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.सं.1959

संक्षिप्त विवरण

अपीलार्थीगणों द्वारा तहसीलदार महोदय के आदेश दिनांक 30.11.2015 के विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी चितरंगी जिला सिंगरौली के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की जो 10 माह विलंब से थी। उत्तरवादीया को उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय से सम्मन मिलने पर वह माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुई, और अपीलार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत बिलंब आवेदन का जबाव देते हुए तर्क किया जिस पर उपखण्ड अधिकारी ने बिना तथ्यों को जांचे परखे आदेश पारित किया गया है जिससे व्यथित हो कर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है जो निम्नलिखित है :–

(180)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक III / निग0 / भू–रा0 / 2017 / 2737 जिला–सिंगरौली

जगमानी देवी वैश / कमला प्रसाद वैश

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विवेक शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील चितरंगी के प्रकरण क्रमांक 18 / अपील / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 31.07.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 08.07.19 को कलेक्टर, जिला सिंगरौली के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	